राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4103/2025

श्रीमति सुमन बाई

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर जनवरी 2016 में एएनएम के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनाँक 08.01.2016 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। अप्रैल 2021 में अपीलार्थी को बडाऊ, झुंझुनूं में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापित किया गया था। जहां पर अधिशेष होने के पश्चात् विभाग के निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का आदेश दिनांक 24.12.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा समायोजन पीएचसी, डूमोली खुर्द में एलएचवी के पद पर किया गया। जहां पर फरवरी 2025 में सुशीला एलएचवी पदस्थापित की गई तथा पीएचसी इमोली खुर्द के अन्तर्गत संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूमोलीकलां में कार्यरत् सजना देवी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 29.01.2025 के द्वारा पदस्थापित किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2025 को चार्ज प्राप्त किया। चार्ज प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 3 ने आदेश दिनांक 20.03.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का वेतन भी उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूमोलीकलां से आहरित करने के आदेश जारी किये। जिसकी सूचना प्रत्यर्थी सं. 2 को भी दी गई। उक्त स्थान पर एक ही पद स्वीकृत है। अपीलार्थी स्वीकृत पद पर कार्यरत् है। फिर भी प्रत्यर्थी सं. 2 ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये तथा बिना रिक्त पद के प्रत्यर्थी सं. 5 को आलौच्य आदेश दिनांक 29.08.2025 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूमोलीकलां, सिंघाना जिला झुंझुनूं में पदस्थापन किया है तथा अपीलार्थी का किसी भी आदेश के द्वारा स्थानान्तरण नहीं किया गया। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी सं. 2 को यह जानकारी होने के बावजूद कि अपीलार्थी को उप स्वास्थ्य केन्द्र,

डूमोली कलां में पदस्थापित किया जा चुका है तथा पद रिक्त नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी सं. 2 ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश दिनांक 29.08.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर किया है तथा अपीलार्थी का किसी भी सक्षम अधिकारी ने स्थानान्तरण नहीं किया है। प्रत्यर्थी सं. 3 व 4 को यह अधिकार नहीं है कि वह अपीलार्थी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेशों के कार्यमुक्त कर सकें। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अधिकरण ने भी अपील सं. 1596/2025 सीताराम मीणा बनाम वन विभाग में दिनांक 27.02.2025 को तथा अपील सं. 3244/2025 सुनीता मीणा बनाम स्कूल शिक्षा में दिनांक 18. 07.2025 को तथा अपील सं. 3362/2024 करण सिंह गुर्जर बनाम स्कूल शिक्षा में दिनांक 20.11.2024 को समान तथ्यों पर कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश जारी किये है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रशासनिक सुधार विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना छूट प्राप्त किये प्रतिबंध अवधि में आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी का बिना रिक्त पद के ही पदस्थापन किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राज. सरकार में दिनांक 09.09.2024 को यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक को प्रतिबंध अवधि में आदेशों की प्रतीक्षा में शिकायत के आधार पर पदस्थापन करना अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। अपीलार्थी की पुत्री 11 वीं कक्षा में अध्ययनरत् है। अपीलार्थी का 7 माह पूर्व भी स्थानान्तरण किया गया था। 7 माह की अल्पावधि में पुनः निजी प्रत्यर्थी का अपीलार्थी के स्थान पर बिना रिक्त पद के पदस्थापन किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनाँक 29.08.2025 को प्रत्यर्थी सं. 4 की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को यथावत् एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूमोली कलां, सिंघाना जिला झुंझुनूं में ही पदस्थापित रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 29. 08.2025 द्वारा निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में आदेश में प्रतीक्षारत कार्मिकों का पदस्थापन किया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 हंसा स्वामी महिला स्वास्थ्य कार्मिक का पदस्थापन सब सेंटर डुमोली कलां, सिंघाना झुंझुनू में किया गया है, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि सबसेंटर डुमोली कलां में एक ही पद स्वीकृत होने एवं अपीलार्थी कार्यरत होने से पद रिक्त नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.12.2021 द्वारा सीएमएचओ झुंझुनू के द्वारा अपीलार्थी के अधिशेष होने के आधार पर पदस्थापन/समायोजन पीएचसी डुमोली खुर्द में एलएचवी पद पर किया गया था। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी का पदस्थापन कभी भी सब सेंटर डुमोली कलां में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नहीं किया गया है। सब सेंटर डुमोली कलां में पदस्थापित सज्जना देवी प्रसाविका के राजकीय सेवा से 28.02.2025 को सेवानिवृति होने पर उसका सामान्य चार्ज अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा आवंटन करने के आदेश जारी किए। इस पश्चात अपीलार्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता डुमोली खुर्द से माह मार्च 2025 से आगामी आदेश तक वेतन आहरण उपस्वास्थ्य केंद्र डुमोली कलां से आहरण करने हेतु सीएमएचओ झुंझुनू ने आदेश पारित किए। (अनुलग्नक–4)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कभी भी उपस्वास्थ्य केंद्र डुमोली कलां सिंघाना में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर पदस्थापन नहीं रहा है। अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर सब सेंटर डूमोली कलां खण्ड सिंघाना में पदस्थापन नियमानुसार है।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष